"That the Bill be returned.

The question was put and the motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I now put the motion regarding consideration of the High Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Amendment Bill, 2002 to vote.

The question is:

> "That the Bill further to amend the High Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1954, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Madam, I move:

"That the Bill be returned."

The question was put and the motion was adopted.

THE PRE-NATAL DIAGNOSTIC TECHNIQUES (REGULATION AND PREVENTION OF MISUSE) AMENDMENT BILL, 2002

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, we take up the Pre-natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Amendment Bill, 2002. Mr. Minister.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI A RAJA): Madam, I move:

> "That the Bill further to amend the Pre-natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Act, 1994, be taken into consideration."

Madam, this legislation seeks to make necessary amendments to the Pre-Natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Act, 1994, to bring the techniques of pre-conception sex selection, use of ultrasound machines, etc., within the purview of the Act. The proposed

amendments also address the difficulties encountered in implementing the Act.

Sex determination techniques are used in India since 1975, primarily for the determination of genetic abnormalities. However, these techniques were widely misused, to determine the sex of the foetus and subsequent abortions, if the foetus was female. In 1986, the Forum Against Sex Determination and Sex Pre-selection, a social action group, based in Mumbai, made a systematic attempt to initiate a campaign on this issue, pressuring the Maharashtra Government to enact the first-ever law in India. The Maharashtra Pre-Natal Diagnostic Technique Act was enacted in 1988. A Central legislation, based on this very Act, namely, the Pre-Natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Act, 1994, was brought into operation from 1st January 1996. Rules have also been framed under the Act. Under the existing Act, pre-natal diagnostic tests or procedures are allowed only for the purposes of detecting genetic or metabolic disorders or chromosomal abnormalities or congenital anomalies or sex-linked diseases, subject to specified conditions. It is illegal to utilise the pre-natal diagnostic techniques for determination and disclosure of sex of foetus. However, the ultrasound machines are being clandestinely used for determination of sex of foetus of pregnant women, leading to female foeticide, which has resulted in adverse sex ratio of 927 females for 1000 males, in the 0-6 age group, as revealed by the results of Census 2001. The pre-natal diagnostic techniques like amniocentesis and sonography are useful for the detection of genetic and chromological disorders or congenital... *(Interruptions)*

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Minister, I know you have got a lot of things to say on it. In fact, this Bill went to the Committee and then this Bill was discussed by the Women's Empowerment Committee; then it came to our House. Then, the Chairman asked me to chair a committee, where I invited all those who had objections on it, including men and women, and they had a discussion with the Minister; the officers and representatives of radiologists; all suggestions of the Members are incorporated in this Bill. I don't think it is absolutely necessary to have a prolonged discussion on it, because everybody is of the view that the prenatal diagnostic techniques should not be done to determine the sex/gender of the embryo in the womb since unscrupulous people would abort the birth of a baby. In order to prevent that, this Bill has been brought forward by you. If you cut short your speech for now--of course, you can speak later in your reply--I would be

extremely happy, because only one hour is given to it. I don't know how I would manage with so many Members wanting to speak--three speakers from one party and two speakers in only eleven minutes! It is not possible. So, let me ask people to speak.

बालकवि जी, बस आप दो जुमले बोल लीजिए क्योंकि इसमें ज्यादा बोलने के लिए कुछ नहीं है । आप तो बैरागी हैं, आपको इससे क्या लेना देना?

श्री बालकवि बैरागी (मध्य प्रदेश): उपसभापति महोदया ! आपको धन्यवाद कि आपने एक बैरागी को अवसर दिया, लेकिन शायद आप जानती होगी कि मैं बाल-बच्चेदार बैरागी हूँ ।

[उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) पीठासीन हुए ।]

उपसभाध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस विधेयक पर कोई ज्यादा विशेष लंबी चौड़ी बात करने की नहीं है । इस पर अमल किया जाना चाहिए क्योंकि यह अपने आपमें एक संशोधन है । मैं इस पर बहुत संक्षिप्त में अपनी बात कहूंगा और मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय और सरकार मेरी इन छोटी-छोटी बातों पर यदि ध्यान देंगे तो शायद हम इस कानून को कुछ और ज्यादा प्रभावशाली बना सकेंगे । जैसा अभी हम मंत्री जी से सुन रहे थे, अपनी भूमिका में मंत्री जी ने खुद भी यह कहा है कि इस भ्रूण परीक्षण के कारण, लिंग परीक्षण के कारण आबादी में एक असंतुलन पैदा होता जा रहा है और आज यह असंतुलन 1000 और 927 का चल रहा है अर्थात 927 लड़कियां हैं और 1000 लड़के हैं । ऐसी स्थिति में इस कानून में संशोधन के लिए यह विधेयक माननीय सदन में रखा गया है ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूँ कि यह एक अच्छा संशोधन आप लाए हैं, लेकिन इसमें कुछ और बातों की ओर भी ध्यान देना होगा। हमारा भारत देश मूलतः देहातों का देश है, गांवों का देश है और गांवों में जो इसके लिए तौर-तरीके हैं उन के संबंध में इस कानून में कोई प्रावधान नहीं है । गांवों में जो गर्भपात करवाया जाता है या होता है, उसके बारे में भी इस कानून में कुछ न कुछ व्यवस्था करनी चाहिए । ऐसा लगता है कि इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है । मंत्री जी इस ओर ध्यान देकर विचार करें क्योंकि यह एक पक्ष इसमें बिल्कुल छूट गया है ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन विशेष तौर पर यह करना चाहता हूँ कि आपने इस कानून में यह व्यवस्था की है कि एक राज्य बोर्ड बनाया जाए, जिसमें 26 सदस्य रखे जाएं, अध्यक्ष सहित 26 सदस्य हों । आपने इसमें राज्य बोर्ड के बारे में प्रावधान रखा है। मैं आपको यह सुझाव देना चाहूंगा, जैसा आप भी स्वीकार करते हैं यह जो मशीनें हैं, जिनसे कि आज इस प्रकार का परीक्षण होता है, यह आज जिला स्तरीय स्थानों तक पहुंच गई हैं । जिले से भी निचले स्थानों तक पहुंच गई हैं और वहां पर जाकर परीक्षण करवाने के पश्चात सारे का सारा पाप या कुकृत्य होता है, यह आप भी जानते हैं और समिति ने भी इस पर विचार किया है । तो मैं आपसे एक आग्रह यह करना चाहूंगा कि प्रत्येक जिले से कम से कम एक सदस्य राज्यों के बोर्ड में जरूर लिया जाना चाहिए । यदि आप प्रत्येक जिले से एक सदस्य लेंगे तो ज्यादा जानकारी आपको मिल सकेगी और प्रभावशाली नियंत्रण हो सकेगा । एक तो मैं आपसे यह आग्रह करना चाहूंगा क्योंकि इसमें जिलावार सदस्यों का आपने कोई प्रावधान नहीं रखा है ।

4.00 p.m.

दूसरे, मैं आपसे यह आग्रह करूंगा कि आपने इसमें लिखा है कि इन राज्य बोर्डों की साल में तीन बैठकें होंगी, मैं कहना चाहता हूं कि आप कृपा करके इसमें संशोधन करें और तीन के बदले चार बैठकें होनी चाहिए, ऐसा प्रावधान करें । कम से कम चार बैठकें होनी चाहिए और तीन महीने मे कम से कम एक बार इस बोर्ड को मिल लेना चाहिए । अगर आप यह दुरुस्ती कर देंगे तो नियंत्रण ज्यादा व प्रभावशाली हो सकेगा ।

एक चीज़ पर आपने ध्यान दिया या नही दिया, मैं नही जानता, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इसकी बैठकों को आप किस पर छोड़ रहे हैं ? यदि राज्य सरकार पर छोड़ रहे हैं तो आपको राज्य सरकार को निर्देषित करना चाहिए कि पूल बनाकर कम से कम इन लेवल के जो हमारे बड़े शहर हैं, वहां पर ये बैठकें होनी चाहिए । एक बार एक जगह हो, दूसरी बार दूसरी जगह हो, तीसरी बार तीसरी जगह हो । यदि ऐसा किया गया तो सारे प्रदेश पर इसका प्रभाव पड़ेगा ।

मुझे एक विशेष निवेदन यह करना है कि प्रत्येक भ्रूण परीक्षण मे और गर्भपात मे कम से कम एक महिला शामिल जरूर होती है, चाहे यह नर्स के स्तर की हो या दाई के स्तर की हो, लेकिन कम से कम एक महिला उसमें जरूर शामिल होती है जो इस काम को करने मे सहायता करती है । तो क्या इस बारे में हम कोई विचार कर सकते हैं कि किस तरह से इस बात को नज़र मे रखा जाए और रोका जाए ?

मुकदमा चलाने का अधिकार किसको है, इसको और स्पष्ट करना चाहिए । जैसे मध्य प्रदेश में हमारे यहां राज्य सरकार ने जिला सरकारे तय कर दी हैं । तो क्या हम जिला सरकारों को इस बात का अधिकार दे सकते हैं कि वे मुकदमा दायर करवाकर मुकदमा चला सके ? इस पर भी हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए ।

अंत में मुझे आपसे निवेदन यह करना है कि आपने विज्ञापनो पर रोक लगाने की बात तो कर दी, जो विज्ञापन नजर आते हैं उन पर तो आप रोक लगा रहे हैं, लेकिन जो टोने-टोटके और कई तरह के आश्रम और स्थान हैं जहां पर कि यह काम होता है और जो परीक्षण करके यह परिणाम भी बता देते हैं कि लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है और इस बात का तो हल्ला मचाया जाता है कि केवल पुत्र ही पैदा होगा तथा इसके लिए लोग लाइन लगाकर खड़े रहते हैं और इन टोटकों पर चले जाते हैं, इनके बारे मे आप क्या कर रहे हैं ? तो क्या इस कमेटी ने या आपके विभाग ने, मंत्रालय ने या जिसने भी यह बिल ड्राफ्ट किया है, उन्होने कभी इस बारे मे भी सोचा है और उनके लिए आपके पास क्या प्रावधान हैं ?

ये कुछ बातें हैं, जिनका इसमें समावेश किया जाना चाहिए और यदि इनका समावेश होगा तो यह कानून अधिक प्रभावशाली हो सकेगा और लोगों के द्वारा स्वीकृत हो सकेगा । आखिर हमको इसको अधिक से अधिक सख्त बनाकर इसका अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए और चूंकि हमारा देश साढे पांच, छ लाख गांवो का देश है तो हमें इस प फैक्टर को अवाइड नहीं करना चाहिए कि गांवो मे यह काम ज्यादा तादाद मे होता है और शहरो में परीक्षण करवाने के पश्चात सारे कुकृत्य देहात मे करवा लिए जाते हैं । इस पर भी कुछ नज़र रखी जानी चाहिए ।

इन सुझावों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जब अपना उत्तर देंगे या अपने विभाग से जब मंत्रणा करेंगे तो मेरी बातों पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देंगे । मैं उम्मीद करता हूं कि राज्य बोर्ड के 26 सदस्यों वाला जो अंश है, उसे आप निकाल देंगे।

एक चीज़ पर पता नहीं आपका ध्यान गया है या नहीं, मैं नहीं जानता कि अंग्रेजी में क्या है लेकिन हिन्दी में आपने एक वाक्य लिखा है, जिसे मैं पढ़कर सुना देता हूं और इस पर भी आपको थोड़ा गंभीरता से सोचना पड़ेगा । हिन्दी में आपका जो यह कानून है उसके पृष्ठ 6 पर ङ में लिखा है "विधान सभा या विधान परिषद् की तीन महिला सदस्य" । मैं फिर से आपकी जानकारी के लिए पढ़ रहा हूं "विधान सभा या विधान परिषद की तीन महिला सदस्य" । जहां दोनों सदन हैं वहां तो आप दोनों में से तीन ले लेंगे, लेकिन जहां केवल एक सदन है वहां इसमें थोड़ी समस्या है । इसलिए आपको लिखना चाहिए कि "विधान सभा और विधान परिषद की तीन महिला सदस्य "। ये "या" बीच में लिखकर आपने इसको सीमित कर दिया है। जहां दोनों सदन नहीं हैं, वहां पर आप क्या करेंगे ? एक ही सदन में से लेना पड़ेगा । तो इसको आप स्पष्ट करिएगा कि "विधानसभा और विधान परिषद की 3 महिला सदस्य" और यदि वहां दोनों सदन नहीं हो, तो "जो भी सदन हो, उस सदन की 3 महिला सदस्य" । यह प्रावधान पूरा करना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए । मेरा विश्वास है कि आप इन बातों पर विचार करेंगे । इस बिल के माध्यम से हम इस पुरुष प्रधान समाज को थोड़ा नियंत्रित कर सकें और महिलाओं के साथ कुछ न्याय कर सकें और हमारी बहनों, बेटियों को हम जन्म लेने से रोकें नहीं, इस दिशा में इस कानून का सारा देश स्वागत करेगा । अंत में मैं आपके इस बिल का पुनः स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

श्रीमती गुरचरण कौर (पंजाब) : उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) संशोधन विधेयक, 2002 पर बोलने की अनुमति दी है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं । सबसे पहले मैं इस बिल को लाने के लिए माननीय मंत्री जी के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करती हूं । हमारी संस्कृति में बालिका को देवी, दुर्गा, काली, महालक्ष्मी का रूप दिया गया है । हम सदा देवी के रूप में उनका पूजन करते हैं । गुरु नानक जी भी कहते हैं कि - "सोको मंदा आखिए जित जन्मे राजां" । यह नारी जिसने राम और कृष्ण को अपनी गोद में खिलाया है, वह नारी जिसने महाराजा रणजीत सिंह, गुरु नानक, गुरु गोविन्द सिंह जी को जन्म दिया है, उसके बारे में मैं यह कहना चाहूंगी कि -

अगर नारी न होती तो दुनिया न होती ।
न होते वेदों के रचयिता ।
न होते अटल, न होते आडवाणी ।
होते समुंदर, खंडहर, पर्वत, पहाड़ ।
सूनापन सूनी प्रकृति ।

महोदय, पृथ्वी पर स्वर्ग लाने वाली नारी की इतनी अवहेलना क्यों की जा रही है? इस कदर उसे जन्म से पहले नष्ट क्यों किया जा रहा है? इस प्रकार मां की ममता पर भी खून के छींटे पड़ रहे हैं । क्या उस नन्हीं बच्ची की पुकार सुनाई नहीं देती है जब वह कहती है - "मां, मैं भी दुनिया देखना चाहती हूं, मुझे एक बार जन्म तो लेने दो, मैं अपने भाइयों से भी बढ़कर

आपकी सेवा करूंगी, आपको प्यार करूंगी" । उसकी दु:ख भरी मूक आवाज सुनने के लिए मां और बाप का हृदय स्पंदनहीन क्यों हो गया है ? उस बेचारी को किस गुनाह की सज़ा दे रहे हो? क्यों नारी के अस्तित्व को समाप्त किया जा रहा है ? यहां बेचारी औरत का तो कुछ दोष नहीं है । वह बेबस है, घरवाले उसे तंग करते हैं । वह बेचारी तो बेगुनाह है, उसे तो सज़ा नहीं देनी चाहिए लेकिन जो लोग उकसाने वाले हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए ।

महोदय, एक विज्ञापन है - "आएं, देखें डा. एस. सुरेश, भ्रूण रक्षा रिसर्च, चेन्नई" । शीशे के मर्तबानों में 500 भ्रूण विशेष पारदर्शी रसायनों में रखे हुए नज़र आते हैं । किसी की उम्र 6 हफ्ते की है, किसी की उम्र 6 मास की है, सभी मृत है ।

महोदय, अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी, गर्भ की बीमारियों और विकलांग भ्रूण के इलाज में वरदान है लेकिन दुर्भाग्य से इस तकनीक का प्रयोग कन्या के भ्रूण की हत्या के लिए हो रहा है । इसमें डॉक्टरों की भूमिका आपराधिक है । डॉक्टरों को लोग भगवान के बाद दूसरे स्थान पर मानते हैं परंतु उन्होंने चंद टकों के लिए अपने पेशे को कलंकित कर दिया है । मैं समझती हूं कि वे देश से गद्दारी कर रहे हैं । जब किसी डॉक्टर की प्रैक्टिस नहीं चलती है तो वह चार-साढ़े चार हजार रुपए की अल्ट्रासाउंड मशीन ले लेता है और इस प्रकार से वे पैसे कमा रहे हैं। उनको रोका जाए और जो कानून मंत्री जी लाए हैं, उससे भी सख्त कानून बनाया जाए।

मान्यवर, ये डॉक्टर तो कातिल हैं । देखने में आया है कि कई बार तो इनके एक-एक केस से चार-पांच हजार रुपए बन जाते हैं । तो वे भ्रूण हत्या को क्यों रोकेंगे ? जब कोई उनके पास आता है तो वे तरह-तरह के ढंग से उसको फंसाते हैं और कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि भ्रूण में लड़का होता है लेकिन वे अल्ट्रासाउंड करके बता देते हैं कि लड़की है और ऐबॉर्शन करके पता चलता है कि उन्होंने लड़के को लड़की बता दिया। इससे और भी नुकसान होता है । दूसरी बात यह होती है कि आर्थिक दृष्टि से इसके कारण हमारे देश पर बड़ा प्रभाव पड़ता है । गरीब लोगों के लिए तो यह बहुत ही दुख की बात हो जाती है। लेकिन चन्द लोगों के लिए यह बहुत बड़ी कमाई का साधन बना हुआ है। मान्यवर, भ्रूण हत्या की बीमारी विकराल रूप धारण कर गई है। शहरों से होती हुई यह गांव तक भी मार करने लगी है। मैं एक छोटी सी घटना बतलाती हूं। मैं एक गांव की रहने वाली हूं और मेरे गांव के साथ एक छोटा सा शहर -कोटकपूरा है। मैं उस समय की बात कर रही हूं जबकि प्रि-नेटल डाइग्नोस्टिक टेक्नीक्स समिति की मैं एक मेंबर थी। मैंने यह देखा कि समिति के यह सब लोग चंडीगढ़ में बैठकर बातें बतलाते रहते हैं लेकिन कहीं पर जाकर छापा भी मारे, किसी से बातें करें कि यह क्यों और कैसे हो रहा है, वह ऐसा नहीं करते थे। मैं एक डाक्टर के पास गई। मैंने उससे कई प्रश्न किए। मैंने कहा कि भइया, इस प्रकार से नारी जाति का सर्वनाश क्यों कर रहे हैं। यह तुम्हारी मां, बहन और पत्नी के रूप में कितने स्थानों पर सम्मानित है। तो वह डरा नहीं और बोला कि मैं ऐसा क्यों नहीं करूं। अगर मैं नहीं करूंगा तो वह अनपढ़ दाइयों से गिरवा लेंगी। इससे फिर क्या होगा कि अन्य कई बीमारियां पैदा होंगी। इस प्रकार से लोगों की ऐसी मानसिकता बनी हुई है। मैंने डाक्टरों के कई चक्कर काटे कि किसी न किसी प्रकार से इन लोगों को पकड़ा जाए। लेकिन जो उनके बिचौलिये थे, वह इनको केस लाकर देते थे। तो मुझे न उनसे प्राप्त हुआ और न डाक्टर से। मान्यवर, इससे बड़ी ही हानि हो रही है। यह लोग मार खाने वाले नहीं हैं, डाक्टर लोग मार खाने वाले नहीं हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : कृपया समाप्त करें।

श्रीमती गुरचरण कौर : दो मिनट और लूंगी। डाक्टर शेखर गर्भ धारण करने से पहले ही सेक्स चेज कर देते हैं। यह शुक्राणु के एक्स-वाई को अलग करते हैं और कहते हैं कि जो बच्चा होगा व शर्तिया लड़का ही होगा। तो ऐसे में क्या किया जाए, कैसे किया जाए इन लोगों का विरोध। मान्यवर, यह एक प्रकार से नारी जाति के अस्तित्व को ही खत्म किया जा रहा है जो कि बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। लड़कों के मुकाबले लड़कियां बहुत कम हो रही हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार 31 जिलों को लिया गया। उन 31 जिलों में एक हजार लड़कों के पीछे 900 लड़कियां पाई गई। लेकिन उन 31 जिलों में से 11 जिले मेरे पंजाब के हैं जो कि दुर्भाग्य की बात है और आज तक की जनगणना में 6 साल से जो कम आयु की लड़कियां थी उनकी गिनती एक हजार के पीछे 800 के लगभग रह गई है। मान्यवर, इससे बुरी और क्या हालत होगी। इससे बलात्कार होंगे, अराजकता होगी।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : कृपया समाप्त करें।

श्रीमती गुरचरण कौर : और फिर सभ्य समाज को नाक डुबोकर मरने के लिए चुल्लू भर पानी भी नहीं मिलेगा। यह क्या हो रहा है हमारे समाज में? डाक्टरों को चाहिए कि जो ऐसा काम नहीं करना चाहते, अपना दायित्व निभाना चाहते हैं, अगर उनके पास कोई केस आता है और फिर वह उसको न कर देते हैं, लेकिन यह याद रखें कि जो लड़की एबॉर्शन कराने के लिए आई है, अल्ट्रासाउंड कराने के लिए आई है तो वह कहीं और भी जाएगी। तो वह लोग उसका पीछा करें।...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): कृपया समाप्त करें। आपके यहां से श्रीमती माया सिंह भी बोलने वाली हैं।

श्रीमती गुरचरण कौर : ऐसा किया है कि जो मशीनें वगैरह हैं वह पंजीकृत हुए बिना किसी को नहीं बेचेंगे। सभी अल्ट्रासाउंड मशीनें पंजीकृत की जाएंगी। लेकिन मान्यवर, मेरा सुझाव है कि सभी अल्ट्रासाउंड मशीनों को पंजीकृत न किया जाए क्योंकि नहीं तो ऐरे-गैरे-नत्थू-खैरे सब इसी प्रकार से एबॉर्शन करते रहेंगे। तो कुछ विशेष मापदंड रखकर उन्हीं हॉस्पिटल की अल्ट्रासाउंट मशीनों को पंजीकृत किया जाए। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को एक सुझाव और देना चाहती हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : कृपया आसन ग्रहण करें।

श्रीमती गुरचरण कौर : जो सुझाव थे, बातें थी वह मेरे मन में रह गई और आपकी आज्ञा से मैं बैठ रही हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : श्रीमती वंगा गीता। आपके पास तीन मिनट का समय है। आप गागर में सागर भर दीजिए।

SHRIMATI VANGA GEETHA (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support this Bill. We should hang our heads in shame that in the country of Bharat Mata, girls are killed even before their birth. From Vedas and other religious books, we find that women had a respectable

place in the society at that time. But now, female foeticide is increasing day by day. It has assumed an alarming proportion forcing the law-makers to discuss this problem in right earnest. Almost in every part of the country, the practice of female foeticide is taking place. In urban areas, female foeticide is done in subtle ways. In order to control this menace, we need to go deep into this problem. The major cause is dowry. As long as this practice is there in the society, this problem is not going to stop. To eradicate this social evil, we need to change our attitude. Law alone cannot help this. Religious leaders, Members of State Legislatures, social activists, and famous personalities should come forward to fight against this menace. In Punjab, the ratio of girls to boys has decreased from 882 : 1000 in 1991 to 874: 1000 in 2001. In Haryana also, the situation is dismal. But the silver lining in the dark clouds is that Akal Takht has issued a directive to the Sikh community to stop female foeticide.

Another important aspect is encouragement. The Government should come forward and give suitable incentives to the families having girl children. In our State of Andhra Pradesh, the Government is already giving incentives to the parents having only female children. The State Government deposits some amount in the bank for the education of the girl child. Besides, in Andhra Pradesh, women have equal property rights.

Mr. Vice-Chairman, Sir, I take this opportunity to make certain suggestions. The medical community needs to take this legislation seriously. It should necessarily target these measures in order to effectively implement this legislation. The present Act does not define adequately the terms, 'genetic counselling centres', 'genetic clinics' and 'genetic laboratories'. Though the proposed amendment to the Act defines the term 'medical genetics', it does not define the term 'genetic science'. I also request the hon. Minister that a course in genetics should be made compulsory in all medical colleges and institutions. As far as Advisory Board is concerned, the Central Supervisory Board should publish half-yearly reports about its functioning, and these reports should be made public to ensure accountability. Similarly, the appropriate authorities should submit their progress reports to the Central Supervisory Board. These progress reports should also be made public to ensure greater accountability. But women who are subjected to sex determination tests should not be punished, because, inadvertently, in most cases, they are the victims. I support this Bill wholeheartedly with an appeal to the Government to take concrete steps for giving suitable encouragement and incentives to the girl child. The

Government should ensure that dowry prohibition laws are strictly enforced. Women should also have equal property rights. The sex-determination tests should be strictly prohibited. Wide publicity should be made through Press and electronic network to change the attitude of the society so that discriminatory practice against girls and women is abolished. Thank you.

श्रीमती चन्द्रकला पांडे (पश्चिमी बंगाल) : महोदय, मेरे पूर्व वक्ताओं ने महिला भ्रूण हत्याओं के बहुत सारे आंकड़े बताए । मैं जिक्र करना चाहूँगी, सोमवार दिनांक 9 दिसंबर को राज्य सभा मे एक बार फिर राज्य स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि देश में पुरुषों की तुलना मे महिलाओं की संख्या के निरंतर घटने के मूल मे कन्या भ्रूण हत्या ही है । 0 से 6 वर्ष तक की बालिकाओं की नगण्य संख्या चौंकाती तो है ही, आशंकित भी करती है। कहां गयी इतनी बच्चियां ? आबादी से लुप्तप्राय प्रजाति की तरह विलुप्त हो गयीं, खो गयीं या फिर दुनिया की रोशनी देखे बिना मौत के अंधेरे कुएँ में डूब गईं । वह बेटी जो पैदा होने के पहले मार दी जाती है, वह जो समाज में प्रवेश करने के पहले बहिष्कृत कर दी जाती है, जिसके न पैदा होने के लिए मन्नतें मानी जाती हैं, जिसे जन्म देकर स्त्री खुद कांपती है, थरथराती है और जिसके लिए उसी की जाति की स्त्रियाँ आकर दुख की चादर ओढाती हैं। जिसे दुख और कर्ज़ का कारण माना गया है, उसे जन्मने का अधिकार देने के लिए स्वास्थ्य मंत्री जी जो विधेयक लाए हैं, मैं उसका अपने कुछ संशोधनों के साथ स्वागत और समर्थन करती हूं । मुझे खुशी है कि महिला से जुड़े इस अहम प्रश्न को, लिंग आधारित भ्रूण हत्या को समाज के विकास की केन्द्रीय बाधा के रूप में समझा और पहचाना गया । सरकार ने वर्तमान पी.एन.डी.टी. कानून को नई तकनीकों के अनुरूप अद्यतन करने के लिए संशोधनो की सूची तैयार की है, वह काफी कुछ वाजिब है । हां, इसे और अधिक सशक्त करने की जरूरत है । यू.के. में ऐसी तकनीक ईजाद हुई है जिससे गर्भधारण पूर्व ही भ्रूण के लिंग को जाना जा सकेगा । वह भी हमारे यहां आएगी । ऐसी तकनीक को भी इसमें शामिल करना चाहिए । वहां तो इस प्रकार की इजाज़त तभी दी जा सकेगी जब पहले के दो बच्चे एक ही लिंग के हो पर हमारे यहां तो आधिकारिक तौर पर दो बच्चो की ही अनुमति है वर्ना सजा पाने की तैयारी भी करनी पड़ सकती है । ऐसी नई तकनीकों पर दुरुपयोग की छाया न पड़े, इसके लिए भी सरकार को सचेत रहना पड़ेगा । साथ ही इसमें जो अफसरशाही सोच है, उसी से मैडिकल व्यवसायियों ने अपने निहित स्वार्थ की सुरक्षा मे कानूनी मजबूती बनाए रखने के लिए काफी चेष्टा की है । जैसे किसी भी डाक्टर के खिलाफ भ्रूण लिंग परीक्षण के लिए सीधा मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता, इससे पहले शिकायत करने वाले को अपनी शिकायत की पुष्टि कई स्तरों पर करवानी पड़ेगी जो कि अपने आपमें एक लम्बी प्रकिया है। डाक्टरों की एक खास तरह की लॉबी कानूनी विशेषज्ञों की मदद से काफी सक्रिय बनी हुई है। वह न केवल संशोधनों, बल्कि कानून के ही खिलाफ जनमत जुटाने में लगी हुई है । महोदय, मैं आपके माध्यम से ऐसे कानूनी विशेषज्ञों के खिलाफ भी सख्त कार्यवाही की अपील करती हूं जो कन्या भ्रूण हत्या के बर्बर अपराध में नैतिकता को ताक पर रखने वाले डाक्टरों की मदद में लगे हुए हैं ।

हालांकि इस देश में कन्या का पैदा होना एक जन्मजात घाटे और कमी के सौदे के रूप मे देखा जाता रहा है लेकिन चिंताजनक पहलू यह है कि आधुनिक विज्ञान और तकनीक मे इस कमी को जड़ से उखाड़ फैंकने के तथाकथित सभ्य, साफ सुथरे, तर्कशील और सरल तरीके

ढूंढ निकाले हैं । डा0 बावा कहते हैं, "आज पांच सौ खर्च कर भविष्य में पांच लाख के बोझ से बचिए।" और इस तरह के कुतर्क देकर कन्या भ्रूण हत्या को प्रोत्साहित कर रहे हैं । इस पर भी सख्त रोक लगायी जाए । सन् 1975 में एम्नियोसेंटेसिस के आने के बाद जब इसका दुरुपयोग लिंग जांच के लिए किया जाने लगा तो 1978 में भारत सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर सभी सरकारी अस्पतालों और प्रयोगशालाओं में इसके गलत इस्तेमाल पर रोक लगा दी । सन् 1978 में लुधियाना में पहले लिंग जांच केन्द्र खुलने के बाद जब ऐसे केन्द्रों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी तो आशंकित महिला संगठनों ने आंदोलन किए। मैडिकल नैतिकता संदेहों के घेरे में आ गयी । सन् 88 में महाराष्ट्र और 1994 में पूरे देश के लिए पी.एन.डी.टी. ऐक्ट बनाया गया जो तकनीक के प्रयोग पर रोक नहीं लगाता परन्तु इस एक्ट के तहत भ्रूण के लिंग की जानकारी देने पर मनाही है । लेकिन आज इस ऐक्ट का बहुत बड़ा हिस्सा निरर्थक हो गया है और परिवर्तन की मांग करता है । जैसे इसमें केवल जैनटिक लैब के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है। चूंकि अल्ट्रासाउंड तकनीक और इसके इस्तेमाल का विचार बाद में आया और अल्ट्रासाउंड जैनेटिक लैब नहीं है इसलिए इस ऐक्ट में इसका रजिस्ट्रेशन शामिल नहीं है ।

सन् 1988 में यह मांग हो रही थी कि जैनेटिक केन्द्रों को केवल सार्वजनिक क्षेत्रों तक ही सीमित रखा जाए क्योंकि निजी क्षेत्र में इसका दुरुपयोग हो सकता है लेकिन अल्ट्रासाउंड तो केवल लिंग जांच नहीं करता, और भी अनेक वजहों के लिए इस्तेमाल किया जाता है । अतः इसके दुरुपयोग का मौका बढ़ जाता है ।

इस ऐक्ट की एक बहुत बड़ी कमजोरी यह है कि महिला को भी इसमें बराबर का दोषी मानते हुए सजा का प्रावधान किया गया है और उसके लिए बहुत मुश्किल है कि वह यह साबित करे कि इस प्रकार के गर्भपात में वह शामिल नहीं है, उसके परिवारवालों का कोई दबाव रहा है। इस प्रकार के 24 मुकदमें तमिलनाडु में मिले जिसमें 6 में महिलाओं को सजा हुई । इसलिए इस तरह का प्रावधान इसमें न रखा जाए । इसके अतिरिक्त कोर्ट में भी मुकदमा दायर करने के लिए नियमित और सरल तरीका नहीं है । आथॉरिटी के बीच में आने से महिलाओं को अपनी बात स्थापित करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : अब कृपया समाप्त करें ।

श्रीमती चन्द्रकला पांडे : महोदय, मैं एक मिनट और लूंगी । इस ऐक्ट के तहत केन्द्रीय निगरानी केन्द्र केवल सरकार को नीतिगत मुद्दों पर सलाह दे सकता है और राज्य तथा केन्द्र को कुछ बदलाव सुझा सकता है। इसके पास खास पॉवर नहीं है । मैं स्टेट ऐडवाइजरी बोर्ड के स्थान पर बहुसदस्यीय जिला एप्रोप्रिएट अथॉरिटी अथवा प्राधिकृत कमेटियों का सुझाव देना चाहूंगी जो जिला स्तर पर काम करें । ग्रामीण इलाकों में मोबाइल वाहनों द्वारा जो भ्रूण परीक्षण किए जाते हैं, उन पर रोक लगाने में सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी उतनी कारगर नहीं होगी ।

महोदय, विधेयक के सेक्शन 17 में जो बात कही गई है, उसमें वंगा गीता ने भी कहा कि पब्लिक स्क्रूटिनी के लिए स्कोप रखा जाए और उसे पारदर्शी बनाया जाए । इस विधेयक का जो अंतिम पहलू है, वह है इसका वित्तीय ज्ञापन । वह संतोषजनक नहीं है । अगर कानून को सही रूप में कारगर बनाना है तो काफी धन की ज़रूरत पड़ेगी । सरकार की वित्त संबंधी अन्य प्राथमिकताएं हैं अतः मेरा सुझाव है कि क्लीनिकों के रजिस्ट्रेशन से जो अर्थ आए, उसे अलग मद में रख कानून लागू करवाने के ढांचे पर ही खर्च किया जाए और ज्ञापन में यह स्पष्ट रूप से

जोड़ा जाए । गर्भपात से संबंद्ध तमाम केसों का भी रिकॉर्ड रखा जाए और इस कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सरकार आपराधिक मुकदमा दर्ज करे ।

अंत में मैं कहना चाहूंगी केवल कानून बनाकर इस बर्बर मानसिकता को खत्म करना मुश्किल ही नहीं, असंभव भी है । इसके लिए व्यापक जन अभियान और जागरण चलाने की जरूरत है । अगर हमें इंसान और इंसानियत को बचाना है तो नस्लवाद की तरह लिंगवाद को भी समाज के अस्तित्व पर कलंक मानते हुए इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर मुहिम छेड़नी होगी । आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद ।

SHRIMATI S.G. INDIRA (Tamil Nadu): Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak.

Sir, I stand here to support the Pre-natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Amendment Bill, 2002.

Sir, I would like to give certain suggestions and seek some clarifications.

In the Statement of Objects and Reasons, in paragraph 3, it is mentioned:

> "It is, therefore, necessary to indicate and implement in letter and spirit a legislation to ban the pre-conception sex selection techniques and the misuse of pre-natal diagnostic techniques for sex selective abortions and to provide for the regulation of such abortions"

The main aim is to avoid the technique to be used before the conception or pregnancy. But, in paragraph 2 of the same Statement of Objects and Reasons, it is mentioned:

> "The pre-natal diagnostic techniques like amniocentesis and sonography are useful..."

I think after the pregnancy and maturity only these techniques are possible. I do not know why this has been mentioned here when it is said that it is to ban the pre-conception sex selection. Of course, sonography can be done after 28 weeks of the baby. I would also like to raise a question as to what is the appropriate period of pregnancy where amniocentesis is being done to maintain the male-female ratio. It is also mentioned in the Bill that to maintain the male-female ratio, we have to avoid all these diagnoses. Therefore, I would like to know whether this technique can be undertaken at the pre-conception time. The information

put forth in the Statement of Objects and Reasons should be mentioned properly. This is important in my view.

I would also like to mention here that even nine months before the delivery time, when the ultrasonography is undertaken, it cannot be easily found that the baby is male or female. Therefore, I fail to understand why these two techniques have been mentioned here. I would like to mention here about Section 2, clause (o) found on page No.3. It says, "sex selection" includes any procedure, technique, test or administration or prescription or provision of anything for the purpose of ensuring or increasing the probability that an embryo will be of a particular sex;" 'Embryo' means, before conception, and that is why this ultrasonography is mentioned here. Section 3B says, "No person shall sell any ultrasound machine or imaging machine...." I would like to suggest that the sellers must maintain a register of their sale (*time-bell-rings*) and it must be informed to the respective Government officials. The important point is that ultrasonography can be done for the reasons mentioned in the Bill. I would like to mention here, Sir, that apart from these reasons, there should be the actual main reason for ultrasonography. Sometimes, at the time of pregnancy, myoma is found in the uterus, which may lead to cancer. So, this reason should also be put in that clause.

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : आप कृपया समाप्त करें।

SHRIMATI S.G. INDIRA: I would like to say that in the 1994 Bill, only Central Advisory Committee was instituted. Now, in the 2002 Bill, Central and State committees are included. I would like to recommend that Central, State, District and Block level committees can be constituted to have a close watch. The officials of Census Department can also be included in the committee as they can provide and maintain data of birth and death.

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): कृपया समाप्त करें।

SHRIMATI S.G. INDIRA : One minute. As the Bill recommends severe punishment, lawyers can also be included in the committee. Record maintenance is not specific in the Bill. Specific scan reports, negatives and chemical used for the test should also be maintained as a feedback. Even, if it is too tedious to maintain, in the case of patients who have undergone pre-natal diagnostic tests during pregnancy, their delivery report should be submitted through the same clinic or lab, which conducted the tests. Thereby, the genuineness of the tests can be established. Pre-diagnostic

Centres can be limited and the requirement register should be very strict. For example, deposit amount can be fixed for giving licence. It should be higher and technical requirements can also be fixed *(time-bell)*. With these words, I conclude. Thank you.

SHRIMATI PREMA CARIAPPA (Karnataka): Sir, I welcome this Bill. Since, it is a very serious matter, we should try to ensure implementation. Merely passing of the Bill is not sufficient. We must ensure proper implementation of the Bill. The States should launch an effective awareness campaign to make the general public and service providers aware of the provisions of this Act. The declining sex ratio is a matter of great concern. The declining sex ratio in the country is due to many socio-economic reasons and one important reason is non-preference in the family. The family prefers to have a male child presuming that the female child would be a burden for the family. The ultrasound is used all over the world. But, in Western countries, it is mainly used to check any deformity in the child, which may cause danger, so as to take precautions.

But, in India, it is mainly used to identify the sex of the child to decide whether to pursue the pregnancy or not. It has been observed that the sex ratio has declined much more in the northern States as compared to the southern States. In the States of Haryana, Punjab and Delhi and in Chandigarh, the sex ratio is 820 women to 1000 men; 793 women to 1000 men; 820 women to 1000 men and 793 men to 1000 men respectively. The sex ratio in India, which was 945 to 1000 in 1991, has declined to 927 to 1000 in 2001.

Madam, the present Bill is a very important one. Women have suffered a lot. There is a lot of violence against women, like domestic violence, molestation, rape, murder etc. The pre-natal diagnostic technique is also a kind of violence against them. Sometimes, they are forced to go in for MTP when they come to know that the sex of the child is female.

All religious leaders have outrightly condemned the practice of female foeticide and said that it is an inhuman practice and should be stopped forthwith.

The hon'ble Supreme Court has passed an order on 4th May, 2001 directing the registration of all bodies using the ultrasound equipments, under the Pre-natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Act, 1994. I do not know how far the States have complied with this direction.

There is an alarming increase in the number of illegal M.T.P. and the percentage of M.T.P. is very high. According to the statistics, the ratio of legal M.T.P. is 601 per 1000 pregnancies, and the ratio of illegal MTP is 13.3 per 1000 pregnancies. The total number of MTPs per year is 11 million. But this happens only after diagnosing and identifying that the child is a female one. Sir, we see that a woman is a mother; she is a protector; she is a provider, and we do not want to kill her before she could come to the earth. The Medical Council of India should change its code of ethics and punish the errant doctors and put them behind the bars. I support this Bill, and request the Government to ensure its full implementation in all the States through proper publicity so that it can generate proper awareness among the rural masses about the utility of this Act. Madam, I once again welcome the Bill.

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM (Tamil Nadu): Sir, I rise to support the Bill. This Bill has been introduced with stricter measures, like presumption clauses, because, in the recent past, the Ministry experienced that the scientific inventions in the field of medical engineering, were being misused for the purpose of detecting the sex of an embryo and destroying the foetus, if it was a female foetus. This has led to an alarming decline in the sex ratio, that is, 927 women to 1000 men in this country, as pointed out by the previous speaker. This Bill is an absolute necessity because the people of this country recently developed a mistaken impression that a girl in the family will not be an earning member, and she will be a liability because of the high cost of marriage. This is only a recent phenomenon, recent impression. They forget that a girl in a family is a pearl of the family. However, by enacting this law, the Government is not going to achieve hundred per cent prevention of the evil of female foeticide or infanticide. A social movement is imperative. Madam, the women's rights should be recognised openly and any denial of the women's rights should be vociferously opposed. Sir, women should be given a status in the society. In the year 1929 itself, the founder of Dravidian movements, Thanthai EVR Periyar, demanded equal property rights for women in the conference at Chengalpattu. That was implemented by the DMK Government under the Chief Ministership of our leader, Dr. M. Karunanidhi, in the year 1989, and he brought about a historic legislation for the first time in this country, providing for equal property rights for women. Unless we take effective steps to educate people and achieve 100 per cent literacy in this country, the prevention of misuse of such diagnostic methods will not be possible. People should be educated and made to realize that if one strains himself to

educate a boy and bring him up, he contributes to the advancement of an individual; on the other hand, if one educates and brings up a girl, he contributes to the growth, development and advancement of a family.

Sir, the Supreme Court, in the recent case of the Centre for Enquiry into Health and Allied Themes, writ petition no. 301/2000, on 4th May, 2001 *(Time-bell)* observed; I quote : "It is unfortunate that for one reason or the other, the practice of female infanticide still prevails, despite the fact that the gentle touch of a daughter and her voice has a soothing effect on the parents." Sir, I forgot to mention that the DMK Government in Tamil Nadu, in 1996, also implemented *(Time-bell)* 33 per cent reservation for women in local bodies.

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : कृपया समाप्त करें।

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM : Just a minute, Sir. Apart from the methods contemplated in the Bill, there are other methods through which sex determination can be done, such as Flouroscent in-situ Hybridization. I expect the hon. Minister to take effective steps to prevent the misuse of such diagnostic methods. Sir, the diagnostic methods are also used to detect the genetic disorders and other deformities in the foetus; thereby mortality rates have been greatly reduced by the proper use of the diagnostic equipments. That should also not be lost sight of. With these words, I support the Bill. Thank you, Sir.

श्रीमती सरोज चुबे (बिहार): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा लाए गए इस संशोधन विधेयक का स्वागत करना चाहती हूं, हालांकि मैं जानती हूं कि इससे भी कोई बहुत बड़ा सुधार होने वाला नहीं है क्योंकि स्थिति बहुत भयावह है।

महोदय, 115 साल के बाद जोधपुर के देवरा गांव में बेटी की बारात आई। आखिर क्यों? क्यों 115 साल के बाद? क्या वहां बेटी पैदा नहीं हुई थी? ऐसी बात नहीं थी। बेटी पैदा होने ही नहीं दी गयी। बेटियों को मारने के तमाम तरीके थे। उनके पैदा होते ही अफीम चटा दो, उसकी ही नाल उसके मुंह में भर दो, नमक मुंह में भर दो या तकिए से उसका मुंह दबा दो। इस तरह के तमाम ऐसे तरीके हैं। कुछ लोग दूध के बर्तन में मंत्रोच्चार के साथ डुबोकर मार देते हैं। यह तो अल्ट्रा सोनोग्राफी आने के पहले की स्थिति थी जब बेटियों को मार दिया जाता था। जब से अल्ट्रा सोनोग्राफी आ गयी है बेटियों को धरती पर आने ही नहीं दिया जाता। कोख में ही मारने का काम किया जाता है। सैकड़ों बालिकाओं को इस तरह से हर दिन मारा जा रहा है।

अल्ट्रा साउंड मशीन ऐसी है जो केवल सेक्स डिटरमिनेशन के लिए नहीं है। ये बहुपयोगी तथा बहुद्देशीय है। ये शरीर के अंदर के रोगों की जांच पड़ताल करने के लिए है। लेकिन पुरुषवादी समाज ने उसको महिलाओं की हत्यारी के रूप में साबित कर दिया है। यह जीवनदायिनी मशीन आज महिलाओं के अस्तित्व के लिए चुनौती बनी हुई है। इसका परिणाम यह

हुआ कि सामाजिक संतुलन बिगड़ रहा है क्योंकि स्त्री-पुरुष का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। पंजाब मे एक हजार मे 874, हरियाणा मे एक हजार में 861, दिल्ली में एक हजार में 821 और उत्तर प्रदेश मे एक हजार मे 898, यहां तक कि दादर हवेली और अंडमान में भी यह रेश्यो 810 और 864 है।...**(व्यवधान)**... मैं जान गई हूं कि प्रधान मंत्री जी आ गए हैं, इसलिए मैं जल्दी-जल्दी बोल रही हूं । हमारा सामाजिक सन्तुलन बिगड़ रहा है । बालिका भ्रूण हत्या करने की होड़ सी लग गई है । चेन्नई मे पत्रकारों की एक टीम ने विज़िट किया था तो वहां पर यह पता लगा कि जहां भी ये अल्ट्रासाउंड सैन्टर थे वहां महिलाओं का झुंड लगा हुआ था । 1994 के एक केन्द्रीय कानून के बाद सैक्स डिटर्मिनेशन के लिए जांच करवाने पर रोक लगा दी गई थी, इसलिए हरेक सैन्टर मे एक चेतावनी वाला बोर्ड टंगा दिखाई देता है कि यहां भ्रूण का सैक्स नही बताया जाता । डॉक्टर और उसका क्लाइंट अच्छी तरह से जानता है कि किन बीमारियो की आड़ मे, किन संक्रमणो के बहाने बालिकाओं की भ्रूण हत्या कर दी जाती है । इसके लिए अलग से बाकायदा एक गुप्त रजिस्टर रखा जाता है और बोर्ड लगाया जाता है । उस बोर्ड पर लिखा जाता है कि हम केवल उन्हीं मामलो को रजिस्टर करते हैं जिसके लिए प्रसूति विशेषज्ञ ने अधिकृत किया हो और गर्भ मे डिफैक्ट के नाम पर सैक्स का टैस्ट कर लेते हैं और भ्रूण का सैक्स पता लगते ही बड़ी ही निर्ममता से उसकी हत्या कर दी जाती है । यह एक तयशुदा कमीशन के आधार पर होता है । जब से सरकार ने नए कानून की शक्ति बढ़ाई तब से इसकी गोपनीयता और बढ़ गई, लेकिन बालिका भ्रूण हत्या के अनुपात में कोई कमी नही आई । बस, मामला दर्ज नही किया जाता है । 1971 से पहले गर्भपात का मसला दंड संहिता के तहत आता था 1971 के मैडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रैगनैंसी एक्ट के तहत, इसमे थोड़ी ढिलाई दी गई । उसका नतीजा यह हुआ कि भ्रूण हत्या बहुत तेजी से बढ गई । प्रसव से पहले शिशु का सैक्स मालूम करने की गतिविधियो को देखते हुए महाराष्ट्र ने सब से पहले कानून बनाया, लेकिन उसके बाद भी धड़ल्ले से हत्याएं होती रही ।

[उपसभापति महोदया पीठासीन हुईं]

1994 मे प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टैक्नीक प्रिवेशन एंड मिसयूज के नाम से केन्द्रीय अधिनियम अस्तित्व मे आया । लेकिन न महाराष्ट्र के कानून से कुछ हुआ और न केन्द्रीय कानून से कुछ हुआ । ये जो हत्या करने वाले लोग हैं उन्होने चुनौती दी कि तुम डाल-डाल और हम पात-पात, और उसका नतीजा यह हुआ कि मुंबई की एक संस्था द्वारा एकत्रित आंकड़ो के आधार पर पता चला कि अस्पताल मे 8 हजार एबोर्शन कराए गए, उसमे से 7,995 बालिका भ्रूण थे । यह मात्र संयोग नही था, बल्कि यह पितृ सत्तात्मक समाज मे बेटों की चाह में मादा की भ्रूण हत्या की जा रही है और यह एक सामान्य प्रक्रिया के रूप मे समाज मे स्थापित हो गई है । किसी भी प्रदेश में, कहीं भी कोई रिपोर्ट नही लिखी जाती है । उच्चतम न्यायालय ने एक जनहित याचिका में निर्देश दिया था कि तमाम अल्ट्रा सोनोग्राफी मशीनो ...**(व्यवधान)**... थोड़ा बोल तो लें, बस थोड़ा सा बोलेंगे ।

उपसभापति : सरोज जी । ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती सरोज दुबे : तमाम अल्ट्रा सोनोग्राफी मशीनों की ...**(व्यवधान)**...

उपसभापति : इन्हीं सब चीज़ो को रोकने के लिए तो बिल आया है । अब आप यह कह दीजिए कि आई सपोर्ट इट ।

श्रीमती सरोज दुबे : आप देखिए, 3-4 महीने से हम लोग इस बिल पर मेहनत कर रहे हैं । तमाम संशोधन आए, एनजीओज़ से, डॉक्टर्स से और आपने भी बड़ी मेहनत की है, पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी बहुत मेहनत की है, लेकिन नतीजा क्या निकला, नतीजा तो इतना ही था कि हर अल्ट्रासाउंड मशीन का रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए । केवल इससे तो काम बनने वाला नही है । इस नियम का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए । मैं एक बात आपको बताऊं कि इसमें जो धारा है ...**(व्यवधान)**.....मैडम, बस थोड़ा सा बताना है । यह ...**(व्यवधान)**...प्रिंसीपल एक्ट है, इसमे कहा गया है कि एप्रोप्रिएट अथारिटी के पास महिला रिपोर्ट लिखाएगी । अब आप बताइये, पहले तो शिकायतकर्त्ता अथारिटी के पास रिपोर्ट लिखाए, यह 30 दिन का टाइम दे, फिर यह पुलिस मे जाए, फिर वह केस ले, यह प्रोसीजर तो बहुत तकलीफदेह है । यह तो व्यवहारिक नही हो सकता ।

उपसभापति : मैं आपको एक बात बता दूं ...**(व्यवधान)**...एक मिनट, जब मैंने मीटिंग बुलाई, उसके बाद आप लोगो के जो भी आब्जैक्शन थे, वे सभी आब्जैक्शन हमने मंत्री जी और उनके सेक्रेटरी को दे दिए । उसके बाद नैक्स्ट डे उन आब्जैक्शंज़ का जवाब आया और वह भी हमने सर्कुलेट कर दिया । उसके बाद आपने एक बार भी हम से नही कहा कि यह बराबर नही है । अगर आप हम से कहती कि यह बराबर नही है तो जरूर हम इनकार्पोरेट करा देते । आपने कहा ही नही और न ही किसी की चिट्ठी आई ।

I got that reply from the Health Ministry, and circulated it to all those who were present in that meeting, Members belonging to every political party. In fact, I was told, "Now, we are very satisfied because the amendments have come." You are contradicting it now. आप ने कांट्रेडिक्शन क्यो किया ? यह तो आप की गलती हो गयी ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती सरोज दुबे : मैडम, यह भी हम को तीन-चार दिन पहले मिला था ।

उपसभापति : तीन-चार दिन पहले नही, लास्ट वीक मिला था ।

श्रीमती सरोज दुबे : मैडम, बहुत थोड़े मे कहकर समाप्त कर रही हूं । मैडम, प्रि-कंसेप्शन की जो तकनीक आई है, उसे भी इस नियम के अंतर्गत लाया जाय क्योकि यह भी हमारी जान की दुश्मन बन गयी है । इस का भी ध्यान रखा जाय । मैडम, पोर्टेबल मशीन की बात उस दिन भी आई थी, उस का भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और किसी एक व्यक्ति को छूट नही दी जानी चाहिए वरना इस का मिस-यूज होगा । यह लोग तमाम रास्ते निकाल लेगे । साथ ही मैं यह भी डॉक्टरो के पक्ष के बारे मे भी कहना चाहूंगी । इस मे "ए" "बी" से लेकर "एच" "आई" तक तमाम फॉर्म्स हैं और एक बहुत बड़ी फॉर्मलिटी है । इस को भी छोड़ दिया जाए क्योंकि अगर कागंज भरने से उस को 50 हजार रुपए मिलते हैं तो उस के लिए कागज भरना मुश्किल काम नहीं है । ...**(व्यवधान)**...

मैडम, कई धार्मिक गुरुओं ने भी इस बारे मे मीटिंग्स की हैं और चिंता व्यक्त की है, लेकिन सिर्फ कानून बना देने से इस तरह की समस्याओ से निजात नही पाई जा सकती । इसलिए जहां अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के द्वारा अवेयरनेस का सवाल है, इस के लिए पंचायत लेवल के लोगों को, एन.जी.ओज. को शामिल किया जाना चाहिए । अंत मे मैं यही कहूंगी कि यह हमारे

समाज की एक बड़ी कुरीति है जिस तरह दहेज प्रथा के चलते हमारे समाज में कई लड़कियां मारी जाती रही हैं और देवरा गांव में 150 साल तक कोई बरात नहीं आई। इसलिए इन समस्याओं के पीछे के कारणो पर ध्यान देना पड़ेगा तभी हम समाज में बराबरी का दावा कर के रह पाएंगी वरना इसी तरह से हमारा रेशियो खत्म होता चला जाएगा और ...**(व्यवधान)**...

उपसभापति : सरोज जी, बस हो गया ।

श्रीमती सरोज दुबे : यह नारी जाति विलुप्त हो जाएगी । लेकिन हम बहुत तेजी से इस के लिए लड़ाई लड़ेगे । हम अपने अस्तित्व की रक्षा करने मे कभी कमजोर नहीं बनेंगी । हमारे कदम बढ़ते ही रहेगे और आखिर में आप को हमारी बात माननी ही पड़ेगी ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, I think there is nothing much in it. Javare Gowdaji, you please withdraw your name because you were not part of the meeting; you never said anything. And, Mr. Manoj Bhattacharya, you cannot speak on every subject. You should not interfere in women's affairs.

SHRI H.K. JAVARE GOWDA (Karnataka): Madam, I am going to add one thing. As far as this Bill is concerned, I welcome it. But, apart from that, social organisations had written letters, even after the passing of the Act, in 1994. This pre-natal diagnosis is going on unchecked. Doctors, to earn money unethically, are continuously doing it. For that, a letter has been written. He says, "I have sent many letters to the Union Health Minister, Smt. Sheela Dixit, Mr. A.K. Walia, Director, Vigilance, Shri Sharad Kumar and Shri Javare Gowda". What I mean to say is that he is person belonging to a social organisation. He says, "If I disclose the name, definitely the goons will attack me and my family members." My question is How are you going to take cognisance of the offence.

SHRI SANTOSH BAGRODIA (Rajasthan): Madam, as per the Agenda, it is time for the statement of the Prime Minister. It is already 4.45 p.m. I think you should take the permission of the House to delay it. Otherwise, it will not be in order.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Yes; I think I should take the permission of the House, because the Prime Minister is there.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: I have no objection, but you may just take the permission.

SHRI H.K. JAVARE GOWDA: Madam, I may be allowed to continue my speech tomorrow because.... (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: No; no tomorrow.

SHRI H.K. JAVARE GOWDA: I will conclude in two minutes. I am not going to take much time.

THE DEPUTY CHAIRMAN: What we will do is, after the Prime Minister's statement, we will clear this Bill. No tomorrow; there is nothing much in it now.

SHRI H.K. JAVARE GOWDA: Yes, Madam. I agree.

STATEMENT BY PRIME MINISTER

Recent Visit of Shri Vladimir Putin, Hon'ble President of Russian Federation to India

प्रधानमंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : महोदया, रूसी संघ के राष्ट्रपति 3 से 5 दिसम्बर तक राजकीय दौरे पर भारत आए थे । उन की इस यात्रा ने हर वर्ष शिखर बैठकें आयोजित करने की उस नई परम्परा को कायम रखा है जिस की हम ने अक्टूबर, 2000 से शुरूआत की थी । राष्ट्रपति पुतिन हमारे राष्ट्रपति जी से मिले जिन्होंने गणमान्य अतिथि के सम्मान में प्रीतिभोज दिया । उप-राष्ट्रपति, उप-प्रधान मंत्री, विदेश मंत्री और लोक सभा में विपक्ष की नेता ने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की । राष्ट्रपति पुतिन और मैंने द्विपक्षीय संबंधों पर व्यापक बातचीत की और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया । इस विचार-विनर्श से भारत एवं रूस के पारस्परिक हितों के अनेक मुद्दों पर हमारी गहन सहमति मुखरित हुई है ।

इस यात्रा के समापन पर जो महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किए गए, वे हमारे अनेकानेक हितों को परिलक्षित करते हैं । इनमें स्ट्रैटजिक भागीदारी को और अधिक सुदृढ़ बनाने संबंधी दिल्ली घोषणा-पत्र, आर्थिक, वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय सहयोग को मजबूत करने हेतु एक संयुक्त घोषणा-पत्र तथा आतंकवाद से निपटने में सहयोग करने संबंधी एक समझौता-ज्ञापन शामिल हैं । ये दस्तावेज तथा इस यात्रा से संबंधित संयुक्त वक्तव्य सदन के पटल पर रख दिए गए हैं । दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित दस्तावेजों पर भी हस्ताक्षर किए गए । कर्नाटक सरकार तथा रूसी संघ के समारा क्षेत्र के बीच सहयोग संबंधी एक प्रोटोकॉल पर भी हस्ताक्षर किए गए । हम समझते हैं कि इन दस्तावेजों से भारत और रूसी संघ के बीच बहु-आयामी सहयोग के राजनैतिक कानूनी आधार को और मजबूती मिलेगी ।

राष्ट्रपति पुतिन और मैं इस बात पर सहमत हुए कि हमारे दोनों देशों को अपने व्यापार तथा आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के लिए नई पहल करनी चाहिए । हमें अधिक मूल्य एवं उच्च तकनीक वाली वस्तुओं तथा तेल एवं गैस, हीरा आदि जैसे क्षेत्रों में व्यापार बढ़ाना होगा । हमें व्यापार के क्षेत्र में विविधता लाने की तत्काल जरूरत है क्योंकि रुपए और रूबल के संबंध में हमारे द्विपक्षीय समझौते के तहत ऋण भुगतान की मात्रा में वर्ष 2005 से तेजी से गिरावट